2010/0000/

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 10/2010

प्रार्थीगण

1.रिखबाराम पुत्र बुधाजी
2.दीपाराम पुत्र प्रताप जी
जाति पुरोहित निवासी गुड़ानाल
तहसील सिवाना

बनाम

अप्रार्थीगण

1.नगाराम पुत्र कलाजी जाति
पुरोहित निवासी गुड़नाल
तहसील सिवाना
2.ग्राम पंचायत गुड़ानाल जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत गुड़नाल
तहसील सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा 30 दिनांक 09.12.2004 जो सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 नगाराम के नाम से जारी किया गया

उपस्थितः– 1.प्रार्थी संख्या 01,02 उपस्थित, अधिवक्ता अनुपस्थित ।
2.अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित,अधिवक्ता अनुपस्थित।
3.अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सिवाना ने अप्रार्थी संख्या 01 नगाराम को ग्राम सिवाना मे आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 30 दिनांक 09.12.2004 जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम गुड़ानाल में प्रार्थीगण के स्वामित्व एंव आधिपत्य एंव रहवास का एक मकान आया हुआ है। उस मकान के दक्षिण में प्रार्थीगण का कदीमी बाड़ा आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण कदीमी से अपने मवेशी बांधते है। बाड़े के पाड़ौस उतर में प्रार्थीगण का मकान,दक्षिण में आम रोड एंव पूर्व तथा पश्चिम में गलीया आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत सिवाना से साजिश कर प्रार्थीगण के बाड़े की भूमि को हड़पने के लिये फर्जी पट्टा जारी करवाया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत सिवाना ने मिसल कायम नहीं की है, प्रस्ताव पारित नहीं किया है। प्रार्थीगण ने उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधित जॉच एंव निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाकर मिसल कायम नहीं कर विधि विरूद्ध पट्टा जारी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत सिवाना ने दिनांक 11.4.2011 को पत्र पेश कर मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नही होना बताया। पट्टा रजिस्टर उपलब्ध कराया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी संख्या 01,.02 उपस्थित रहे, अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित रहा व 02 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सिवाना ने अप्रार्थी संख्या 01 नगाराम के हक में 160X110=17600 वर्ग फीट का पट्टा संकल्प संख्या 15 दिनांक 25.02.2004 के अनुसरण में दिनांक 09.12.2004 को जारी किया गया है। जिसे खारिज करने हेतु प्रार्थीगण ने धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष निगरानी पेश की है। अप्रार्थी नगाराम ने सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया। अप्रार्थी द्वारा यह आवेदन किस तारीख को लिखा गया व किस तारीख को सरपंच के समक्ष पेश किया गया है, उसकी प्रति न तो अप्रार्थी संख्या 01 ने पेश की है और न ही ग्राम पंचायत ने पट्टा से सम्बन्धित मिसल कायम की है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र. में भूमि का विवरण देगा जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो और आवदेन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25/–रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/–जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचो की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लाज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। ग्राम पंचायत सिवाना ने मौका कमेटी गठित करने और मौका रिपोर्ट प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं

कलक्टर
बाड़मेर

किया है न ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 02 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना थां इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थल पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। मगर इस मामले में कोई नोटिस जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा दिनांक 09.012.2004की प्रति के अवलोकन से ग्राम पंचायत ने यह पट्टा 200/–वसूल करना अंकित किया है। नियम 157 पुराने गृहो का विनियमितिकरण (1)(क) के अनुसार 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानो हेतु 100/– एंव नियम 157(1)(ख)अनुसार इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान पुराने मकानो हेतु रूपये 200/–प्राप्त कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। मगर इस मामले मं मौका कमेटी की कोई रिपोर्ट एंव मकान निर्मित होना और पुराना मकान होना रेकर्ड पर कोई दस्तोवज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 को किस आधार पर 17600 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया गया,कोई आधार साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नहीं है। ग्राम पंचायत सिवाना ने बिना जॉच किये एंव बिना विधिवत प्रकिया अपनायें अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायत राज नियमो में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता,शुद्धता एंव औचित्यता का मूल रिकॉर्ड से पुनरीक्षण करने का प्रावधान है। मगर इस मामले में ग्राम पंचायत सिवाना ने कायम की गई मिसल, कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया है। ग्राम पंचायत सिवाना से रिकॉर्ड तलब करने पर ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत सिवाना ने अपने पत्र दिनांक 11.04.2011 में जारी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एव कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस प्रकार इस मामले में ग्राम पंचायत सिवाना ने नियम 145 से 157 की पालना नहीं कर मिसल कायम किये बिना एंव निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना जारी पट्टे की सत्यता निर्विवाद रूप से साबित नहीं है। जिसके अभाव में पट्टा विलेख दिनांक 09.12.2004को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में संकल्प संख्या 15 दिनांक 25.02.2004 के अनुसरण में जारी पट्टा 30 दिनांक 09.12.2004 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 नगाराम के पक्ष में जारी आबादी भूमि का

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विक्रय विलेख पट्टा संख्या 30 दिनांक 09.12.2004 को खारिज किया जाता है और मामला सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996के नियम 145 से 157 में अंकित प्रक्रिया का अनुसरण कर मामले में नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर